भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 514
28 नवम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

514. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री पी.सी. मोहनः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएमएफएमई योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेंगलुरू और कर्नाटक में इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं और लाभान्वित उद्यमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई) योजना" को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए चालू है।

इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

यह योजना मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

(ख): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध- I** में है ।

(ग): बंगलुरू सहित कर्नाटक में इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं और लाभान्वित उद्यमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

******

अनुबंध-I

दिनांक 28 नवम्बर, 2024 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत परियोजनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी के लिए सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन । सामान्य अवसंरचना की क्षमता का बड़ा भाग किराये के आधार पर उपयोग के लिए अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा ।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****

अनुबंध II

दिनांक 28 नवम्बर, 2024 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत परियोजनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बंगलुरू सहित कर्नाटक में इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं और लाभान्वित उद्यमों का विवरण निम्नानुसार है:

कर्नाटक राज्य के लिए,

(क) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी: 5177 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 188.03 करोड़ रुपये की अनुमोदित राज सहायता मंजूर की गई है।

(ख) प्रारंभिक पूंजी: 19088 एसएचजी सदस्यों के लिए 75.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं

(ग) इनक्यूबेशन सेंटर: 3216.88 लाख रुपये की अनुदान सहायता के साथ 14 इनक्यूबेशन सेंटरों को मंजूरी दी गई है । सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	ज़िला	इन्क्यूबेशन सेंटर	स्वीकृत सहायता अनुदान (लाखों में)
1.	कर्नाटक	मैसूर	सीएसआईआर-सीएफटीआरआई मैसूर	202.00
2.	कर्नाटक	हावेरी	सीओएचईएफ़टी, देवीहोसुर	240.11
3.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	सीओएच , हिरियुर (यूएएचएस, शिवमोग्गा)	146.00
4.	कर्नाटक	शिवमोगा	यूएएचएस, शिवमोग्गा	225.00
5.	कर्नाटक	धारवाड़	यूएएस, धारवाड़	236.80
6.	कर्नाटक	मंड्या	ज़र्स - गुड़ पार्क (यूएएस, बैंगलोर)	159.00
7.	कर्नाटक	हसन	सीओए, हसन	209.90
8.	कर्नाटक	रामनगर	केवीके- रामनगर	264.00
9.	कर्नाटक	चिक्कमगलुरु	सीओएच , मुदिगेरे	197.86
10.	कर्नाटक	रायचूर	यूएएस, रायचूर	307.00
11.	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर	केवीके चिंतामणि	208.50
12.	कर्नाटक	चामराजनगर	केवीके चामराजनगर	143.30
13.	कर्नाटक	कोलार	आईसीएआर- केवीके- कोलार	335.71
14.	कर्नाटक	विजयपुरा	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ अपने केवीके-इंडी, विजयपुरा में	341.70
				3216.88

(घ) मार्केटिंग और ब्रांडिंग: 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है अर्थात सीमी, भीमा पल्सेस और इंडिया कॉफी

(ङ) क्षमता निर्माण: 1098 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया बेंगलुरू जिले के लिए,

(क) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी: 411सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 21.30 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी मंजूर की गई है।

(ख) प्रारंभिक पूंजी: 1,555 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 6.12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं

(ग) मार्केटिंग और ब्रांडिंग: 1 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है अर्थात इंडिया कॉफी

*****